

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)


आरक्षित दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23-03-2015
द्वारा दिनांक 01-04-2015 से पुनर्निर्धारित आरक्षित दर

क्र. सं.	योजना क्षेत्र	दिनांक 01-04-2012 से निर्धारित आरक्षित दर		दिनांक 01-04-2015 से प्रस्तावित आरक्षित दर	
		आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक
1.	हिरण-मगरी सेक्टर 9	200	400	300	600
2.	हिरण-मगरी सेक्टर 12	180	360	250	500
3.	हिरण-मगरी सेक्टर 14	200	400	275	550
4.	भूवाणा फेज - I	200	400	300	600
	भूवाणा फेज - II	200	400	300	600
	भूवाणा फेज - III	220	440	350	700
5.	पुलां विस्तार योजना	200	400	300	600
6.	मावड़ी पुराहितान विस्तार योजना	160	320	250	500
7.	फतहपुरा विस्तार योजना	250	500	400	800
8.	श्री भूपाल कॉर्पोरेटिव सोसायटी	150	300	250	500
9.	सेन्ट्रल एरिया विस्तार योजना	200	400	300	600
B. व्यावसायिक योजना -					
10.	द्रांसपोर्ट नगर	0	500	0	750
11.	सबसिटी सेक्टर	0	600	0	900



सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं सदस्य सचिव समिति




अध्यक्ष

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं अध्यक्ष समिति



वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर जोन, उदयपुर
एवं सदस्य समिति



अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
एवं सदस्य समिति

कार्यालय नगर विकास प्रन्थास, उदयपुर (राज.)

आरक्षित दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक
23-03-2015 द्वारा दिनांक 01-04-2015 से
पुनर्निर्धारित आरक्षित दर

क्र. सं.	गैर योजना क्षेत्र	दिनांक 01-04-2012 से निर्धारित आरक्षित दर		दिनांक 01-04-2015 से पुनर्निर्धारित आरक्षित दर	
		आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक
1.	अहमदाबाद सडक के पश्चिम में ग्राम गोदर्घन विलास की आवादी को समिलित करते हुए आर्मी एरिया के वाताण्डी के साथ होते हुए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र सीमा से होते हुए दक्षिण में फूटिया भैलौजी तालाब के दक्षिण में विटामान सडक तक।	150	300	225	450
2.	फूटिया भैलौजी तालाब के दक्षिण में विटामान सडक से होते हुए पश्चिम में नगरीयकरण योग्य सीमा से होते हुए Highway Control Belt को समिलित करते हुए अहमदाबाद सडक के पश्चिम का क्षेत्र।	150	300	200	400
3.	अहमदाबाद सडक, वर्तमान बाईपास रोड एवं सलुम्बर रोड के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र दक्षिण में नगरीयकरण योग्य सीमा तक (पन्नाघाय योजना, कर्मचारी योजना, दक्षिण विस्तार योजना सेक्टर ए, बी, सी एवं डी एवं उनके विस्तार सेक्टर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र)	160	320	250	500
4.	सलुम्बर सडक एवं अहमदाबाद रेल्वे लाइन के बीच एवं प्रस्तावित देवारी काया बाईपास सडक के दक्षिण पूर्व का नगरीयकरण योग्य क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र (कलडवास औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए)।	140	280	180	360
5.	सलुम्बर सडक के पूर्व में अहमदाबाद रेल्वे लाइन तक तथा वर्तमान बाईपास रोड के दक्षिण में प्रस्तावित देवारी - काया बाईपास तक का क्षेत्र।	140	280	200	400
6.	झामर कोटडा सडक के दक्षिण तथा वर्तमान में बाईपास सडक के उत्तर का तथा सेक्टर-९ के पूर्व का क्षेत्र।	140	280	250	500

		180	360	300	600
7.	सर्वसिटी सेन्टर के उत्तर-पूर्व एवं चित्तोडगढ़ रोड के दक्षिण का सेक्टर 3, 4, 5 की मुख्य सड़क के पश्चिम का गैर योजना क्षेत्र (उदयपुर शहर विस्तार योजना, मॉली कॉलोनी, पानेरियों की नादडी, गाडिरियायास, टेकरी, नौखा सहित)				
8.	हिरण मगरी सेक्टर 3, 4, 5, 6 का गैर योजना क्षेत्र, 120 फीट चौड़ी के पूर्व तथा बाईपास सड़क के पश्चिम उत्तर में नदी तथा दक्षिण में रेलवे लाइन सड़क के मध्य का क्षेत्र।	200	400	300	600
9.	सुधाय नगर योजना, शिव पार्क कॉलोनी दुर्गा नसरी का सम्पूर्ण क्षेत्र उत्तर में आयड नदी तक तथा दक्षिण में चित्तोड रोड तक।	250	500	385	770
10.	ठोकर चौराहे से प्रतापनगर चौराहे एवं चित्तोडगढ़ रोड के दक्षिण में रेलवे लाइन के सहारे-सहारे मादडी रोड तक।	200	400	300	600
11.	चित्तोड रेलवे लाइन के उत्तर में विश्व विद्यालय मुख्य सड़क तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।	200	400	325	650
12.	विश्वविद्यालय सड़क के उत्तर में भूवाणा योजना एवं पुलों योजना के मध्य का क्षेत्र। (नदी के पूर्व एवं विश्वविद्यालय के पश्चिम का क्षेत्र)	150	300	275	550
13.	श्री भूपाल कोआपरेटिव सोसायटी के पूर्व में ढिकली रोड होते हुए बाईपास सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक) अन्धेरी चौराहे, सुखेर रोड होते हुए 200 फीट चौड़ी सड़क होते हुए आर टी ओ कार्यालय होकर वर्तमान बाईपास सड़क होकर ढिकली रोड तक (भूपाल कोआपरेटिव सोसायटी को छोड़कर)	-	-	200	400
14.	चित्तोडगढ़ रोड पर ढिकली रोड से होते हुए उत्तर में अन्धेरी चौराहा, नाथद्वारा रोड होते हुए इस सीमा के पूर्व का नगरीयकरण याय्य सीमा तक का क्षेत्र चित्तोडगढ़ रोड के उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
15.	चित्तोडगढ़ रोड के दक्षिण में मादडी औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पुरोहितों की नादडी योजना क्षेत्र को बाहर छोड़ते हुए वर्तमान बाईपास रोड के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा में अहगदाबाद रेलवे लाइन के सहारे-सहारे प्रस्तावित देवारी कार्य बाईपास सड़क तक तथा प्रस्तावित बाईपास सड़क के सहारे-सहारे चलते हुए Highway Development Control Belt को शामिल करते हुए वापस चित्तोड रेलवे लाइन के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	120	240	200	400

SACIP_1st_meeting_12_15_modified_12_3_15


प्रिय
६६१०३

16.	अहमदाबाद रेल्वे लाईन के पूर्व में उमरडा ग्रोथ सेन्टर के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए नगरीयकरण सीमा के बीच का क्षेत्र।	-	-	200	400
17.	चिन्नीडगढ़ रेल्वे लाईन एवं रोड के दक्षिण में प्रस्तावित देवारी काया वाइपास के पूर्व में प्रस्तावित उदयसागर के पास जी-02 क्षेत्र को समिलित करते हुए Zinc Industrial Area को समिलित करते हुए वापस चिन्नीडगढ़ रेल्वे लाईन तक के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
18.	चिन्नीडगढ़ सड़क के दक्षिण में जिंक औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए नगरीयकरण सीमा तक का सम्पूर्ण क्षेत्र। (डबोक नाव एवं एश्रपोर्ट सहित सम्पूर्ण क्षेत्र)	-	-	250	500
19.	डबोक चौराहे से मावली रोड पर चलते हुए सोमन्ट फैब्रिक्स को शामिल करते हुए नगरीयकरण सीमा के राहारे-सहारे तथा चिन्नीडगढ़ पर Highway Development Control Belt को शामिल करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	225	450
20.	चिन्नीडगढ़ रोड के उत्तर में जिंक क्षेत्र के पास से चिन्नीडगढ़ रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे गुडली औद्योगिक क्षेत्र को समिलित करते हुए नगरीयकरण क्षेत्र तथा मावली रोड के राहारे-सहारे डबोक चौराहे तक के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
21.	भूवाणा योजना के ऊपर में सुखेर में 200 फीट चौड़ी सड़क तिराहे तक का क्षेत्र।	-	-	300	600
22.	अन्धेरी चौराया से अमरख जी क्षेत्र शामिलित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र एवं Highway Development Control Belt को समिलित करते हुए गोमुन्दा रोड पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र तक, वहाँ से गोमुन्दा होते हुए बठगाव येसिक रकुत के सामने प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क के साथ साथ नदी तक, वहाँ से नदी के साथ साथ बेदला पुलिया तक, वहाँ से भूवाणा योजना तक तथा वहाँ से नाथहारा रोड परिवर्तन में अमरीक जी तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।	130	260	200	400
23.	देवाली (फतहपुरा) का गैर योजना क्षेत्र।	250	500	400	800
24.	देवाली फतहसागर तिराहे से बड़ी रोड के सहारे-सहारे बड़ी हॉस्पीटल तक तथा वहाँ से उत्तर दिशा में नगरीयकरण योग्य सीमा तक गोमुन्दा रोड तक, वहाँ से गोमुन्दा रोड के साथ साथ बिन्दु संख्या 22 की सीमा तक फतहपुरा विस्तार योजना को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र।	140	280	200	400

sc/p_08t_revised_2023_03_15_modified_22_3_15

4.

25.	फतहसागर देवाली तिराहे से बड़ी हॉस्पीटल तक, बड़ी रोड के दक्षिण तथा उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र पश्चिम में नगरीयकरण सीमा तक।	150	300	225	450
26.	मल्टातलाई चौराहे से उबेश्वर जाने वाली सड़क के दक्षिण में (OTC B-Block को छोड़ते हुए) ग्राम कालारोही आवादी को सम्मिलित करते हुए नगरीयकरण योग्य सीमा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा तक।	150	300	250	500
27.	परिधिय नियन्त्रण पहरी / किन्ज एसिया में स्थित और योजना क्षेत्र।	120	240	180	360




सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं सदस्य समिति



अध्यक्ष
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं सदस्य समिति



वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर जोन, उदयपुर
एवं सदस्य समिति



अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
एवं सदस्य समिति